## अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग
## GRANT No. 30 - DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

| | | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | | | |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | | |
| मूल | Original | 6909,09,00 | | 13347,55,00 | 13006,86,27 | -340,68,73 |
| पूरक | Supplementary | 6438,46,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 329,52,65 |
| **पूंजीगतः** | **Capital:** | | | | | |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | | |
| मूल | Original | 8227,45,00 | | 15067,48,00 | 14560,73,94 | -506,74,06 |
| पूरक | Supplementary | 6840,03,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 993,00,65 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2052" | Major Head "2052" | | | | |
| सचिवालय – सामान्य सेवाएं | Secretariat - General Services | | | | |
| मू. | O. | 23277.00 | 24911.66 | 24108.59 | -803.07 |
| पू. | S. | 4255.00 | | | |
| पु. | R. | -2620.34 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "2070" | Major Head "2070" | | | | |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | Other Administrative Services | | | | |
| मू. | O. | 2768.00 | 1629.18 | 1569.35 | -59.83 |
| पु. | R. | -1138.82 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2075" | Major Head "2075" | | | | |
| विविध सामान्य सेवाएं | Miscellaneous General Services | | | | |
| मू. | O. | 100004.00 | 4.00 | 3.21 | -0.79 |
| पु. | R. | -100000.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2416" | Major Head "2416" | | | | |
| कृषि वित्तीय संस्थान | Agricultural Financial Institutions | | | | |
| मू. | O. | 13920.00 | 12432.45 | 12432.45 | .. |
| पु. | R. | -1487.55 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3475" | Major Head "3475" | | | | |
| अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | Other General Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 335916.00 | 421550.57 | 421388.83 | -161.74 |
| पू. | S. | 14053.00 | | | |
| पु. | R. | 71581.57 | | | |

| | | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|---|

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3605" | Major Head "3605" | | | | |
| अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग | Technical and Economic Cooperation with other countries | | | | |
| मू. | O. | 139235.00 | | | |
| पू. | S. | 104432.00 | 244736.13 | 244732.13 | -4.00 |
| पु. | R. | 1069.13 | | | |

(I) सत्रह शीर्षों के अंतर्गत ₹102127.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा जिस में से ₹102053.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध है :–

(I) Provision of ₹102127.00 lakhs remained wholly unutilized under seventeen heads; of these ₹102053.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2075" – "आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं में अंतरण – गारंटी उन्मोचन निधि" – ₹100000.00 लाख – गारंटी उन्मोचन निधि के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदान में उपयोग के लिए कारण।

(A) Major Head "2075" - "Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Guarantee Redemption Fund" - ₹100000.00 lakhs - due to utilisation in the grant of Ministry of External Affairs for Guarantee Redemption Fund.

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि में अंशदान" – ₹2053.00 लाख – विदेश मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार अंशदान नहीं करने के कारण।

(B) Major Head "3475" - "International Co-operation - Contribution to Commonwealth Fund for Technical Cooperation" - ₹2053.00 lakhs - due to non-contribution as per directions of Ministry of External Affairs.

(II) मुख्य शीर्ष "3475" के तहत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के समक्ष दर्शाये अनुसार पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा :–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "3475" remained wholly unutilized under the following heads as shown against each:-

(का) "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – व्यवहार्य अंतर वित्त पोषण" – ₹50000.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2023 में ₹11390.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके

(A) "Financial support for Infrastructure Development - Assistance for Infrastructure Development -Viability Gap Funding" - the original provision of ₹50000.00 lakhs was augmented to

₹61390.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹20390.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) स्कीम मांग संचालित होने के नाते परियोजना प्रायोजक प्राधिकारिओं से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

₹61390.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹11390.00 lakhs in December, 2023. However, there was a saving of ₹20390.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of demand from project sponsoring authorities scheme being demand driven.

(खा) "अन्य व्यय – सहायता अनुदान सामान्य" – ₹19237.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2023 में ₹811.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹20048.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹12746.45 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कार्यान्वयन कर्ता अभिकर्ताओं के पास पिछले वर्ष की शेष राशि उपलब्ध होने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तिय सेवायें केंद्र प्राधिकरण ( आई. एफ़. एस. सी. ए) के तहत एफ़. आई. एन. टी. ई. सी. एच. प्रोत्साहन स्कीम और सुप्टेक प्रोजेक्ट के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure - Grants-in-aid-General" - the original provision of ₹19237.00 lakhs was augmented to ₹20048.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹811.00 lakhs in December, 2023. However, there was a saving of ₹12746.45 lakhs (including supplementary grant) - due to availability of balances of previous year with the implementing agencies and requirement of less funds towards FINTECH Incentive Scheme and Suptech Project under International Financial Services Centres Authority (IFSCA).

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान नीचे प्रत्येक के समक्ष दर्शाये अनुसार अप्रयुक्त रहा :–

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – आर्थिक कार्य विभाग" – ₹18013.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2023 में ₹4208.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹22221.00 लाख तक बढाया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, ए. एस. ओज. द्वारा देर से कार्यभार ग्रहण कररने, कम संख्या में दावे प्राप्त होने, लापरवाहपूर्ण तरह से निधियों का प्रावधान करने और पेंशन संबंधी प्रभारों के लिए निधियों की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹2372.73 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Economic Affairs" - the original provision of ₹18013.00 lakhs was augmented to ₹22221.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4208.00 lakhs in December, 2023 which, however, remained unutilised to the extent of ₹2372.73 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, late joining of ASOs, receipt of less claims, inadvertent provisioning of funds and non-requirement of funds towards pensionary charges.

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" – "अन्य व्यय – भारतीय दूतावास वाशिंगटन का आर्थिक स्कंध" – ₹1000.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2023 में ₹300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1300.00 लाख तक बढाया गया जो, तथापि, पदों को नहीं भरे जाने के कारण ₹246.06 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "3475" - "Other Expenditure - Economic Wing of the Embassy of India, Washington" - the original provision of ₹1000.00 lakhs was augmented to ₹1300.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹300.00 lakhs in December, 2023 which, however, remained unutilised to the extent of ₹246.06 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(IV) मुख्य शीर्ष “2052” – “सचिवालय – जी20 भारत की अध्यक्षता 2022” – ₹548.55 लाख की बचत (₹4600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जी20 की बैठकों में कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “2052” - “Secretariat - G-20 India Presidency 2022” - saving of ₹548.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4600.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards G-20 Presidency meetings than estimated.

(V) मुख्य शीर्ष “2070” – “विशेष जांच आयोग सोलहवां वित्त आयोग” – ₹757.03 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और कार्यालय स्थान को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और पेंशन संबंधी प्रभारों के लिए निधियों की आवश्यक्ता नहीं होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head “2070” - “Special Commission of Enquiry - Sixteenth Finance Commission” - saving of ₹757.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of office space and non-requirement of funds towards pensionary charges.

(VI) मुख्य शीर्ष “2416” – “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – कृषिगत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि (आई. एफ़. ए. डी.) में अंशदान” – ₹1487.55 लाख की बचत (₹13920.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अमरीकी डालर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर में उतार चढाव के कारण हुई।

(VI) Under Major Head “2416” - “International Cooperation - Contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD)” - saving of ₹1487.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13920.00 lakhs) was due to exchange rate variation between USD and INR.

(VII) मुख्य शीर्ष “3475” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :

(VII) Under Major Head “3475” - savings occurred under the following heads:-

(का) “अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आई. आई. पी. डी. एफ़.)” – ₹2409.32 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना प्रायोजनकर्ता अभिकरणों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(A) “Financial support for Infrastructure Development - India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF)” - saving of ₹2409.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-receipt of demand from project sponsoring authorities.

(खा) “अन्य व्यय – भारतीय अर्थिक सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण” – ₹609.91 लाख की बचत (₹1235.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आई. ई. एस. संवर्ग के 2024 बैच के 18 आई. ई. एस. (पी.) अधिकारियों द्वारा देर से कार्यभार ग्रहण करने और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आई. ई एस. अधिकारियों के विदेश में प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई।

(B) “Other Expenditure - Training of Indian Economic Service Officers” - saving of ₹609.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1235.00 lakhs) was due to late joining of 18 IES(P) of 2024 batch in IES Cadre and restriction on foreign training of IES officers by Department of Personnel and Training.

(VIII) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1532.22 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से

(VIII) Under four heads savings of ₹1532.22 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not

अधिक है और स्वीकृत प्रावधान का 24 से 87 प्रतिशत तक हैं।

exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 24 percent to 87 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹110845.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा निम्नलिखित मुख्य शीर्षों में प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर, 2023 में ₹118485.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2. The above savings were partly (₹110845.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹118485.00 lakhs in December, 2023 under the following major head:-

(I) मुख्य शीर्ष "3475" – "आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – स्वर्ण आरक्षी निधि – ₹109693.00 लाख।

(I) Major Head "3475" - "Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Gold Reserve Fund" - ₹109693.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग – भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आई. डी. ई. ए. एस.) के तहत क्रेडिट लाइन के लिए ब्याज तुल्यकरण सहायता" – ₹1152.00 लाख।

(II) Major Head "3605" - "Cooperation with other countries - Interest Equalization Support for Lines of Credit under Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS)" - ₹1152.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में अभ्यर्पित की गई राशि (₹99300.65 लाख) ₹50674.06 लाख की समग्र बचतों से अधिक है।

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹99300.65 lakhs) exceeded the overall savings of ₹50674.06 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "4046" | Major Head "4046" | | | | |
| मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint | | | | |
| मू. | O. | 251800.00 | | | |
| पू. | S. | 38810.00 | 172610.00 | 223473.80 | +50863.80 |
| पु. | R. | -118000.00 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "5465" | Major Head "5465" | | | | |
| सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं में निवेश | Investments in General Financial and Trading Institutions | | | | |
| मू. | O. | 399800.00 | | | |
| पू. | S. | 50987.00 | 473611.00 | 473523.20 | -87.80 |
| पु. | R. | 22824.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "5466" | Major Head "5466" | | | | |
| अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश | Investment in International Financial Institutions | | | | |
| मू. | O. | 138411.00 | | | |
| पू. | S. | 593604.00 | 730979.77 | 730977.52 | -2.25 |
| पु. | R. | -1035.23 | | | |
| मुख्य शीर्ष "5475" | Major Head "5475" | | | | |
| अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिवयय | Capital Outley on other General Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 1.00 | | | |
| पू. | S. | 600.00 | 1.00 | .. | -1.00 |
| पु. | R. | -600.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "7610" | Major Head "7610" | | | | |
| सरकारी सेवकों को ऋण आदि | Loans to Government Servants etc. | | | | |
| मू. | O. | 22500.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 19809.24 | 17813.39 | -1995.85 |
| पु. | R. | -2691.76 | | | |

(I) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत ₹100637.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹100600.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(का) मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश एन. आई. आई. एफ़. अवसंरचना ऋण वित्त पोषण प्लेटफ़ार्म में पूंजी प्रवाह" – ₹100000.00 लाख एन. आई. आई. एफ़. द्वारा निधियों को जुटाने की प्रक्रिया अगले वर्ष तक के लिए स्थगित किए जाने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "5475" – "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण" – ₹600.00 लाख परियोजना प्रायोजनकर्ता अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "5466" – "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम में निवेश सामान्य पूंजी वृद्धि (जी. सी. आई.) के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम को भुगतान" – ₹36460.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2023 में ₹1389.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹37849.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, विनिमय दर में उतार चढाव के कारण ₹1016.27 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "4046" – "सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन आफ़ इंडिया लि. से सिक्कों की खरीद सिक्के" – ₹118005.04 लाख की बचत (₹151800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिक्कों के उचित बिक्री दामों (एफ़. एस. पी.) को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और सिक्कों की मांग में कमी होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "7610" के अंतर्गत – "गृह निर्माण अग्रिम मंत्रालय और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" – ₹4203.15 लाख (₹17500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में ) ऋण संवितरण के लिए कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई; और

(I) Provision of ₹100637.00 lakhs remained wholly unutilized under eleven heads; of these ₹100600.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings, Banks, etc. - Capital infusion into NIIF Infrastructure Debt Financing Platform" - ₹100000.00 lakhs - due to fund raise process by NIIF postponed to next financial year.

(B) Major Head "5475" - "Financial Support for Infrastructure Development - Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding" - ₹600.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Project Sponsoring Authority.

(II) Under Major Head "5466" - "Investment in International Finance Corporation - Payment to International Finance Corporation towards General Capital Increase (GCI)" - the original provision of ₹36460.00 lakhs was augmented to ₹37849.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1389.00 lakhs in December, 2023 which, however, remained unutilised to the extent of ₹1016.27 lakhs - due to exchange rate variation.

(III) Under Major Head "4046" - "Purchase of Coins from Security Printing & Minting Corporation of India Limited - Coins" - saving of ₹118005.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹151800.00 lakhs) was due to non-finalisation of fair selling price (FSP) of coins and decrease in indent of coins.

(IV) Under Major Head "7610" - "House Building Advances - Ministries & Union Territory Administrations" - saving of ₹4203.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17500.00 lakhs) was due to receipt of less applications for disbursal of loans.

4.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹122824.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि, मुख्य शीर्ष "5465" – "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश" के अंतर्गत निम्नलोखित शीर्षों के तहत दिसंबर, 2023 में ₹50987.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

4.(I) The above savings were partly (₹122824.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹50987.00 lakhs obtained in December, 2023 under Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings, Banks, etc." under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में निवेश" – ₹35111.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹35024.72 लाख था।

(A) "Investment into National Investment and Infrastructure Fund" - ₹35111.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹35024.72 lakhs.

(खा) "किफ़ायती और मध्यम आय वर्ग के लिए आवासन हेतु विशेष विंडो" – ₹87713.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹87712.48 लाख था।

(B) "Special Window for Affordable and Middle-Income Housing" - ₹87713.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹87712.48 lakhs.

(III) बचतें भी मुख्य शीर्ष "4046" – "स्वर्ण खरीद–स्वर्ण विमुद्रीकरण स्कीम 2015" के तहत अपेक्षाकृत अधिक स्वर्ण मोबिलाइजेशन और स्वर्ण मूल्य में वृद्धि होने के कारण ₹50868.84 लाख के अधिक व्यय (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹38810.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹138810.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रति संतुलित हो गईं।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4046" - "Purchase of Gold - Gold Monetization Scheme 2015" - excess of ₹50868.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹138810.00 lakhs including supplementary grant of ₹38810.00 lakhs obtained in December, 2023) was due to higher gold mobilization and increase in value of the gold.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹339.80 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत है।

(III) Under one head excess of ₹339.80 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

**5. *निर्भया निधि:-***

2013–14 में 'निर्भया निधि' की स्थापना ऐसे उपायों/अंतःक्षेपों के वित्त पोषण के लिए उपयोग किए जाने हेतु की गई थी। जो महिलाओं की हिफ़ाजत और सुरक्षा को संवर्धित करते हैं और काफ़ी लंबे समय से कायम हैं और प्रभावि हैं। इस निधि का प्रयोजन भारत सरकार कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा बालिकाओं और महिलाओं की हिफ़ाजत और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों को वित्त पोषण करना है। इन निधियों को बजट प्रावधानों के अनुसार भारत

**5. *Nirbhaya Fund: -***

The 'Nirbhaya Fund' was established during 2013-14 to be used to fund those enduring measures/interventions which substantially enhance the safety and security of women and are sustainable and effective over a long period of time. The purpose of the fund is to finance various initiatives taken by different Ministries/Departments of the Government towards empowering girl children and women ensuring their safety and security. Funds will be

की समेकित निधियों से राजस्व व्यय शीर्ष से अंतरित किया जायेगा। निर्भया निधि के अंतरण के लिए बजट आवंटन संबंधित अनुदान मांगों से किया जायेगा जहाँ व्यय आवंटन किया जाता है।

transferred as per budget provisions from the Revenue Expenditure head from the Consolidated Fund of India. The budgetary allocations for 'transfer of the Nirbhaya Fund' will be made from the respective Demands for Grants where expenditure allocations are made.

*2023–24 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था :–*

*The Account of the Fund for 2023-24 was as follows:-*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | |
|---|---|---|
| अथशेष | Opening Balance | 2554,21,45 |
| प्राप्तियां | Receipts | 605,27,00 |
| अदायगियां | Payments | 424,21,54 |
| अंतशेष | Closing Balance | 2735,26,91 |

**6. *राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि :-***

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना च्वच्छ ऊर्जा आदि में अनुसंधान से संबंधित विभिन्न नई परियोजनाओं को वित्त पोषण करने के लिए की गई थी। "राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि" के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में उत्पादित कोयले पर ऊर्जा उपकर नामक लेवी लगाने का प्रस्ताव किया गया था। इसे राजपत्र संख्या 06/20 स्वच्छ ऊर्जा उपकर दिनांक 22.6.2010 के तहत अधिसुचित किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा उपकर की प्रस्तावित लेवी कर राजस्व के रूप में संग्रहीत की जानी है और इस प्रकार सृजित निधि को आरक्षी निधि में अंतरित किया जायेगा। चिह्नित योजनाओं/नई परियोजनाओ पर व्यय का प्रावधान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों में कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत किया जायेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूलियां उसी कार्यात्मक व्यय शीर्ष से की जायेंगीं ताकि योजना पर व्यय और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूली का मिलान हो पाये।

**6. *National Clean Energy Fund: -***

The 'National Clean Energy Fund' was established to finance various new projects relating to researches in Clean Energy etc. In order to meet the objectives of 'National Clean Energy Fund' a levy called Energy Cess on coal produced in India was proposed. This was notified in Gazette Notification No. 06-2010 - Clean Energy Cess dt. 22.06.2010. The proposed levy of Clean Energy Cess is to be collected in the form of Tax Revenue and the funds so generated will be transferred to Reserve Fund. The provision for expenditure on identified schemes/new projects will be made in Demand for Grants of different Ministries/Departments under the functional Major Heads. The recoveries from the National Clean Energy Fund will also be made under the same functional expenditure head so the expenditure on the schemes and recovery from National Clean Energy Fund get matched.

*2023–24 के लिए इन निधियों का लेखा इस प्रकार था:–*

*The Account of the Fund for 2023-24 was as follows:-*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | |
|---|---|---|
| अथशेष | Opening Balance | शून्य NIL |
| प्राप्तियां | Receipts | शून्य NIL |
| अदायगियां | Payments | शून्य NIL |
| अंतशेष | Closing Balance | शून्य NIL |

**7. *गारंटी उन्मोचन निधिः-***

इस निधि की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों आदि को दी गई गारंटी, जब भी ऐसी गारंटी की मांग हो, के उन्मोचन के लिए किया गया था। इस निधि का वित्त पोषण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जब गार्म्टि की मांग की जाती है, इस प्रकार का व्यय संबंधित अनुदान के संबंधित ऋण शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है और निधि से वसूली कटौती प्रविष्टि के रूप में ऋण शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध की जायेगी।

*2023–24 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–*

**7. *Guarantee Redemption Fund: -***

The fund was constituted for redemption of Guarantees given by the Union Government to Central Public Sector Undertakings, Financial Institutions etc., whenever such guarantees are invoked. The fund is fed by annual allocation to be made by Ministry of Finance. When the Guarantees are invoked, such expenditure may be shown under the concerned loan head of respective grant and recovery from the fund will also be accounted for under the loan head as deduct entry.

*The Account of the Fund for 2023-24 was as follows:-*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | |
|---|---|---|
| अथशेष | Opening Balance | 8621,79,00 |
| प्राप्तियां | Receipts | 9013,72,00 |
| भुगतान | Payments | 8192,82,04 |
| अंतशेष | Closing Balance | 9442,68,96 |

**8. *कृषि अवसंरचना और विकास निधिः-***

वित्तीय वर्ष 2023 – 24 में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा इस निधि को सृजित किया गया था। वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 124(1) में लेवी और सीमा शुल्क संग्रह करने का प्रावधान किया गया है जिसे कृषि और अन्य विकास व्यय के वित्त पोषण के प्रयोजन के लिए भारत में आयातित वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर कहा जायेगा। इसी

**8. Agriculture Infrastructure and Development Fund: -**

This fund was created by the Union Government of India during Financial Year 2023-24. The Section 124(1) of the Finance Act, 2021 provides for levy and collection of a duty of Customs to be called Agriculture Infrastructure and Development Cess on the goods imported into India for the purposes

प्रकार इस अधिनियम की धारा 125(1) में इसी प्रयोजन के लिए निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर नामक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के लेवी संग्रहण का प्रावधान है।

of financing the agriculture and other development expenditure. Similarly, Section 125(1) of the Act ibid provides for levy collection of additional duty of excise called Agriculture Infrastructure and Development Cess on the goods manufactured or produced for the same purpose.

व्यय विभाग ने अपने दिनांक 17.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 00(07)/पीएफ़सी 1/2020 के तहत निम्नलिखित तरीके से ए. आई. डी. सी. से प्राप्तियों का वितरण निर्धारित किया है :

Department of Expenditure has vide its OM No. 00(07)/PFC-I/2020 dated 17.11.2021 prescribed distribution of receipt from AIDC in the following manner:

| क्रम संख्या<br>**Sl. No.** | मंत्रालय/विभाग का नाम<br>**Name of the Ministry/Department** | आवंटन का प्रतिशत<br>**Allocation Percentage** |
|---|---|---|
| 1 | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग<br>Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare | 80% |
| 2 | जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधान, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग<br>Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | 10% |
| 3 | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग<br>Ministry of Rural Development, Department of Land Resources | 5% |
| 4 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय<br>Ministry of Food Processing Industries. | 5% |

*2023–24 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–*

*The Account of the fund for 2023-24 was as follows:-*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | |
|---|---|---|
| अथशेष | Opening Balance | शून्य NIL |
| प्राप्तियां | Receipts | 120714,39,02 |
| भुगतान | Payments | 99635,60,15 |
| अंतशेष | Closing Balance | 21078,78,87 |